12-12-2015

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत के पेश हुयी। वादीगण के वकील उपस्थित। वादीगण वकील व प्रतिवादी न० 6 के वकील के सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 बाबत ग्राम नाडरी मे आराजी ख० न० $\frac{3}{1-32}$ व $\frac{5}{1-12}$ है वाके ग्राम नाडरी तह. उनियारा नानगा जाति मीना सा० देवली की खातेदारी मे दर्ज है जो ना० ख 256 से मुतफरिक बदरी के बजाय प्रतिवादी न० 1 ता 5 के नाम दर्ज हुयी है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 वाके ग्राम देवली खाता संख्या 18 मे वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 2 तथा पुत्र बद्री का नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम नाडरी मे अकेले बद्री का ही नाम दर्ज हुआ है। प्रतिवादीगण के वाद मे उपस्थित होना तथा जवाब दावा प्रस्तुत न करना वादी के वाद का परोक्ष समर्थन है। प्रतिवादी न० 6 के वकील का कथन है कि वादग्रस्त भूमि बैंक के रहन है अतः भूमि मे रहन दर्ज रखा जावे।

उपरोक्त विवेचन के एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना को मद्देनजर रखते हुये न्यायालय वादीगण के वाद को डिक्री किया जाकर उचित समझता है। आराजी ख० न० $\frac{3}{1-32}$ व $\frac{5}{1-12}$ है० वाके ग्राम नाडरी तहसील उनियारा मे वादीगण को 1/2 व प्रतिवादी न० 1 ता 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

प्रपत्र –5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

उनवान

1.रामजीलाल पुत्र हरफुल जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.मनभर बेवा हरफुल जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक

1.धनपाल पुत्र बदरी जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.बाबू पुत्र बद्री जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
3.समोदरा पुत्री बदरी जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
4.काली पुत्री बदरी जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
5.मथूरा बेवा बदरी जाति मीना निवासी देवली तहसील उनियारा जिला टोंक
6.स्टैट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा अलीगढ द्वारा शाखा प्रबन्धक
7. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा , दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 94 वर्ष 2010

वादी की ओर से नमोनारायण गोतम प्रतिवादी न0 6 की और से श्री क0एल0ठाडा वकील उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 12.12.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि आराजी ख0न0 3 रकबा 1.32 व 5 रकबा 1.12 है0 वाके ग्राम नाहरीं तहसील उनियारा का वादीगण को 1/2 प्रतिवादी 1 ता 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। चूकि वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण 1, 4 व 5 द्वारा एस.बी.बी.जे. शाखा अलीगढ से ऋण लिया गया है । अतः ऋण चुकता नही करने तक उनके हिस्से की आराजी को यथावत रहन रखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात मे वादीगण के हिस्से 1/2 मे किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 12 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner